सत्यमेव जयते

प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड का कार्यालय
OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E), JHARKHAND

O.O.No.WM-I/Gen Orders/ 2021-22/ 34
Dated- 28.07.2021

OFFICE ORDER

Circular No. 9/पें. (2)-01/2019 dated 18/03/2021 issued by Planning and Finance Department, Government of Jharkhand is enclosed for perusal and necessary compliance by all Sr.DAOs/ DAOs/ DAs/DA(P)s, while settling the pension cases of Work Charged Establishment employees of their divisions.

Special attention is to be given to para (ii) wherein it has been stated that ***the qualifying service of those officials whose services have been regularised from work charged establishment to regular establishment after 30.11.2004, will be counted from the date of conversion of their service in regular establishment. Rule 203 of Pension Rules is not applicable in such cases. They will be paid the benefits of Contributory Pension Scheme which came into force w.e.f 01.12.2004.*** All pensionary cases may be scrutinised and forwarded to this office in accordance with this circular.

It is also directed that all Sr.DAO/DA/DA/DA(P) may review past authorized cases which have been forwarded in non-conformity with this circular, so that the amount of excess liability towards public funds may be assessed and accountability may be fixed on the erring officials.

Sd/-
Sr.Accounts Officer/WM

No.WM-I/2021-22/ 274 Dated- 28.07.2021

Copy to all Sr.DAO/DAO/DA/DA(P) for information and necessary action.

Sr.Accounts Officer/WM

पो. डोरण्डा, राँची - 834002 (झारखण्ड) P.O. Doranda, Ranchi - 834 002 (Jharkhand)
दूरभाष / Telephone : 0651-2412942, 2412582, Fax : 0651-2411745, 2410816
E-mail : agaejharkhand@cag.gov.in

पत्र संख्या-9/पें०(2)-01/2019
झारखण्ड सरकार
योजना राज वित्त विभाग
-::-

प्रेषक,

दीप्ति जयराज,
सरकार के विशेष सचिव ।

सेवा में,

सभी विभागाध्यक्ष/प्रमण्डलीय आयुक्त/उपायुक्त,
झारखण्ड ।

राँची, दिनांक

विषयः- झारखण्ड पेंशन नियमावली 2000 के नियम 203 के आलोक में कार्यभारित स्थापना से नियमित स्थापना में लाये गये कर्मियों के उपादान हेतु अर्हक सेवा अवधि के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि महालेखाकार कार्यालय, झारखण्ड, राँची द्वारा यह जानकारी दी गयी है कि कार्यभारित स्थापना से नियमित स्थापना में लाये गये कर्मियों के सेवानिवृत्ति लाभों की स्वीकृति के मामले में कई स्वीकृति पदाधिकारियों द्वारा अर्हक सेवा के रूप में कार्यभारित स्थापना एवं नियमित में किये गये कुल सेवा अवधि को जोड़कर प्राधिकार हेतु महालेखाकार कार्यालय, झारखण्ड, राँची को भेज दी जाती है जो नियम संगत नहीं है ।

झारखण्ड पेंशन नियमावली 2000 के नियम 203 के आलोक में यह स्वतः स्पष्ट है कि वैसे कर्मी जिन्हें कार्यभारित स्थापना से नियमित स्थापना में लाया गया हो, उनकी अर्हक सेवा पेंशन हेतु 10 वर्ष से कम होने पर जितनी सेवा 10 वर्ष से कम हो रही हो, उतनी ही सेवा पूर्व में कार्यभारित स्थापना में किये गये सेवा अवधि से जोड़ा जाता है । यह सुविधा पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ हेतु अर्हक सेवा 10 वर्ष पूर्ण करने के लिए ही दी जाती है । सेवानिवृत्ति सह मृत्य उपादान की राशि निर्धारण करने के लिए इतनी ही अवधि मान्य है ।

अतः अनुरोध है कि :-

(i) कार्यभारित स्थापना से नियमित स्थापना में संपरिवर्तित कर्मियों के मामलों में सेवाशर्त्तों एवं पेंशन नियमावली के नियम 203 का पूर्णपालन करते हुए ही अर्हक सेवा की गणना कर सेवानिवृत्ति लाभों की स्वीकृति दी जाय ।

(ii) दिनांक 30.11.2004 के पश्चात् कार्यभारित स्थापना से नियमति स्थापना में संपरिवर्तित कर्मियों पर सरकार द्वारा दिनांक 01.12.2004 के प्रभाव से

लागू अंशदायी पेंशन योजना के नियमानुसार ही सेवानिवृति लाभ यथा उपादान की स्वीकृति प्रदान करने हेतु सेवा अवधि नियमित स्थापना में संपरिवर्तित किये जाने की तिथि से ही गणना की जाय । इन कर्मियों के लिए नियम 203 लागू नही होगा ।

कृपया उपरोक्त का पालन सुनिश्चित किये जाने की कृपा की जाय ।

विश्वासभाजन

ह०/-

(दीप्ति जंयराज)

सरकार के विशेष सचिव ।

राँची, दिनांक 18/3/21

ज्ञापांक सं०:- 48/190 पे.

प्रतिलिपिः- उप महालेखाकार (प्रशासन एवं पेंशन), झारखण्ड, राँची को उनके अर्द्धसरकारी पत्रांक PR72/work charged staff/2020-21/55 दिनांक 20.01.2021 के क्रम में सूचनार्थ एवं अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(दीप्ति जयराज) 18/3/2021

सरकार के विशेष सचिव ।